न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 109/2011–12

राज्य बनाम विमल कुमार यादव

–:: आदेश ::–

30.8.12

प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील अपीलार्थी विमल कुमार यादव द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1198, दिनांक 17.09.2011 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या–17/2008 को रद्द किये जाने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध सौर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

दिनांक 05.05.2011 को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा गठित जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच के समय श्री विमल कुमार यादव की दूकान बन्द पायी गयी तथा श्री यादव अनुपस्थित थे। सूचना पट्ट पर श्री यादव की अनुपस्थिति का कोई कारण अंकित नहीं था तथा सूचना पट्ट पर दूकान से सम्बन्धित किसी प्रकार की सूचना अंकित नहीं पायी गयी। उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न एवं तेल की आपूर्त्ति की जाती है तथा कीमत भी अधिक लिया जाता है। श्री यादव द्वारा पूर्व में 2.5 लीटर किरासन तेल उपभोक्तओं को आपूर्त्ति की जाती थी। वर्तमान में 2 लीटर किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती है और 16.00 रू0 प्रति लीटर के दर से वसूल किया जाता है। अन्त्योदय योजना में लाभार्थियों को 13 किलो चावल एवं 8 किलो गेहूँ दिया जाता है तथा दोनों मिला कर एक सौ रूपया वसूल किया जाता है। ग्राम पंचायत सहुरिया पश्चिमी के कुल 42 उपभोक्तओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि कई बार 3–4 महीने के बाद ही दुकान खुलती है।

अपीलार्थी का कहना है कि वे सहुरिया पश्चिम ग्राम पंचायत में वर्ष, 1992 से जनवितरण प्रणाली की दूकान चलाते आ रहे हैं और कभी किसी उपभोक्ता ने उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की। वे आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सामग्रियों की आपूर्त्ति करते आ रहे हैं और उपभोक्ता उनसे पूर्णतया संतुष्ट हैं। महादलित के नेता श्री चन्देश्वरी राम जो अपीलार्थी से अवैध लाभ लेना चाहते थे की पूर्त्ति नहीं होने पर चन्देश्वरी यादव द्वारा वृद्धावस्था पेन्सन के नाम पर निर्दोष लोगों का अंगूठे का निशान लेकर अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाया, जिस पर जाँच करायी गयी तथा जिस पर अपीलार्थी से कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया आयुक्त द्वारा 24 घंटे के अन्दर पंजी अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं किया गया जबकि 06.06.2001 को अपीलार्थी ने कारण पृच्छा के साथ पंजियां जमा कर दी। इसके पश्चात अपीलार्थी को ज्ञापांक 1107, दिनांक 25.08.2011 के अनुपालन नहीं किये जाने के बिन्दु पर अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने तथा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बिन्दू पर कारण पृच्छा की माँग की गयी। अपीलार्थी ने इसके अनुपालन में स्थिति स्पष्ट करते हुए पृच्छा समर्पित किया, परन्तु इस पर विचार किये बिना अनुज्ञप्ति रद्द कर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि 42 उपभोक्तओं में जो तीन–चार माह पर दुकान खुलने का आरोप लगाये हैं, ये न तो बी0पी0एल0 कार्डधारी हैं और न ही अन्त्योदय योजना के लाभार्थी हैं, बल्कि ये सभी शिकायत कर्ता महिला हैं, जिनको वृद्धावस्था पेन्सन के नाम पर अंगूठे का निशान लेकर आरोप लगाया गया है, जो न्यायिक दृष्टिकोण से गलत है। जाँच के समय अपीलार्थी बैंक में राशि जमा करने गये थे, इसलिये दुकान बंद पायी गयी। कितनी कम मात्रा, कितना ज्यादा मूल्य लिया जाता है इसका जिक्र नहीं है। अधिकांश शिकायतकर्त्ता उनके उपभोक्ता नहीं है।

अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

30.8.12

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। क्योंकि जाँच के दौरान जाँच टीम द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनियमिततायें पायी गयी, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा कारण पृच्छा की गयी तथा कारण पृच्छा में दिये गये जबाब एवं साक्ष्य को अपर्याप्त पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1403-2 / विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुएं अनुमंड़ल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।